न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 106 / 2019

तारीख रजू:– 25.07.2019

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुरेश कुमार यादव
R.A.S.

1. श्यामसिंह | पिसरान महाराजसिंह जाति जाट निवासी मण्डावरा
2. मुंशीलाल | तहसील हिण्डौन जिला करौली ———— सायलान

बनाम

1. नूरदीन पुत्र गफूर जाति मुसलमान निवासी मण्डावरा तहसील हिण्डौन
2. मेहरददीन पुत्र गफूर जाति मुसलमान निवासी मण्डावरा तहसील हिण्डौन
3. हब्बो पुत्री गफूर जाति मुसलमान निवासी मण्डावरा तहसील हिण्डौन
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार हिण्डौन
5. सब रजिस्ट्रार तहसील हिण्डौन जिला करौली ———— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री रामभरोसी गोयल एडवोकेट सायलान

निर्णय

दिनांक :– 23.03.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान पेश कर प्रार्थना पत्र में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 445 रकबा 0.16 है0, 446 रकबा 0.15 है0, 448 रकबा 0.35 है0, 449 रकबा 0.30 है0, 466 रकबा 0.07 है0, 667 रकबा 0.07 है0, 468 रकबा 0.07 है0, 469 रकबा 0.07 है0, 470 रकबा0.13 है0, 471 रकबा 0.12 है0, 472 रकबा 0.20 है0, 473 रकबा 0.04 है0, 474 रकबा 0.06 है0, कुल किता 13 कुल रकबा 1.79 है0 वाके ग्राम मण्डावरा तहसील हिण्डौन में स्थित है। जो सायलान व गैरसायल सं01 ता 3 व अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि है। उक्त भूमि का अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है तथा सभी सहखातेदारान मन बंटनी से अपने अपने हिस्से की भूमि काश्त करते चले आ रहे हैं। उक्त भूमि में सायलान का 14/96 हिस्सा है। उक्त भूमि नगर परिषद हिण्डौन की सीमा के पास होने के कारण उसकी बाजार कीमत बढ़ गयी हैं भू–माफिया उक्त भूमि को सहखातेदारान से प्रलोभन देकर खरीदने की फिराक में हैं। उक्त भूमि में रिहायशी प्लाट काटकर कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन करने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.30 16:36:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

फिराक में है। जबकि उक्त भूमि कोटीनेन्ट की भूमि है। उसके प्रत्येक इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कानूनन हक है। बिना विधिवत बंटवारे कोई भी सहखातेदार उक्त भूमि के स्पेसिफिक एरिया को दीगर व्यक्ति को बेचने का कानून अधिकार नहीं है। दिनांक 24.07.2019 को सायलान ने गैरसायलान से विवादग्रस्त भूमि का विधिवत बंटवारा कराकर अलग अलग खातेदारी कराने का निवेदन किया तो गैरसायल सं01ता3 ने ऐलानियाँ धमकी देकर कहा कि हम शीघ्र विवादग्रस्त भूमि को भू-माफियों को बेचकर रहेंगें तथा उक्त भूमि में निर्माण कराकर नाकाबिल काश्त बनाकर अकृषि में परिवर्तित करके रहेंगे। अगर गैरसायलान अपने इरादों में कामयाब हो गये तो महज मुकदमेबाजी बढेगी तथा अवैधानिक तौर से कृषि भूमि अकृषि में तब्दील हो जावेगी तथा हकूक सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी इसलिए गैरसायलान को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना न्यायोचित है। सायलान का प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू पूरी तरह से साबित है। गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने में कोई क्षति किसी प्रकार की नहीं है जबकि पाबन्द न किये जाने में सायलान को अतुलनीय क्षति है, जिसकी पूर्ति द्रव्य में सम्भव नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि गैरसायलान को दौराने दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से इस अमर के लिए पाबन्द फरमाया जावे कि वे स्वंय अथवा अन्य के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 445 रकबा 0.16 है0, 446 रकबा 0.15 है0, 448 रकबा 0.35 है0, 449 रकबा 0.30 है0, 466 रकबा 0.07 है0, 667 रकबा 0.07 है0, 468 रकबा 0.07 है0, 469 रकबा 0.07 है0, 470 रकबा0.13 है0, 471 रकबा 0.12 है0, 472 रकबा 0.20 है0, 473 रकबा 0. 04 है0, 474 रकबा 0.06 है0, कुल किता 13 कुल रकबा 1.79 है0 वाके ग्राम मण्डावरा तहसील हिण्डौन में सायलान के कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करें तथा उक्त भूमि को किसी को रहन बय अथवा अन्य प्रकार से बिना विधिवत बंटवारा कराये हस्तातंरण नहीं करें तथा उक्त भूमि में प्लाट काटकर उसमें निर्माण कर अवैधानिक तौर से अकृषि में परिवर्तन नहीं करें तथा ऐसा कार्य नहीं करें कि जिससे हकूक सायलान को कसी प्रकार का नुकसान हो। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तबल किया गया। गैरसायलान बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए दिनांक 21.08.2020 को गैरसायलान के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सूची में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070से 73 पेश की है।

वकील सायलान उपस्थित। वकील सायलान की एकतरफा बहस सुनी गई। सायलान अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.30 16:36:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वकील सायलान की एकतरफा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली व उसमें उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2070से 73 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 445 रकबा 0.16 है0, 446 रकबा 0.15 है0, 448 रकबा 0.35 है0, 449 रकबा 0.30 है0, 466 रकबा 0.07 है0, 667 रकबा 0.07 है0, 468 रकबा 0.07 है0, 469 रकबा 0.07 है0, 470 रकबा 0.13 है0, 471 रकबा 0.12 है0, 472 रकबा 0.20 है0, 473 रकबा 0.04 है0, 474 रकबा 0.06 है0, कुल किता 13 कुल रकबा 1.79 है0 वाके ग्राम मण्डावरा तहसील हिण्डौन की खातेदारी अकबर पुत्र अल्लादीन हि01/40 जाति मुसलमान, अमरदीन पुत्र गुरजी हि01/6 जाति मुसलमान, अब्दुल पुत्र छुट्टन हि01/40 जाति फकीर, इमामी पुत्र बशीर हि01/36 जाति मुसलमान, इस्माईल पुत्र अल्लादीन हि01/40 जाति मुसलमान, खत्तो पत्नि बशीर हि01/36 जाति मुसलमान, गनी पुत्र अल्लादीन हि01/40 जाति मुसलमान, गफूरन पत्नि छुट्टन हि01/40 जाति फकीर, जुम्मी पत्नि अल्लादी हि01/40 जाति मुसलमान, नन्नू पुत्र मनोहरी हि01/12 जाति मुसलमान, नूरदीन पत्र गफूर हि01/48 जाति फकीर, पप्पू पुत्र अल्लादीन हि01/40 जाति मुसलमान, पीरू पुत्र मनोहरी हिस्सा 1/12 जाति मुसलमान, मंगतू पुत्र छुट्टन हि0 1/40 जाति फकीर, मजीद पुत्र बशीर हि01/36 जाति मुसलमान,मुन्नी पुत्र बशीर हि01/36 जाति मुसलमान, मुंशीलाल पुत्र महाराजसिंह हि0 7/96 जाति जाट, महरदीन पुत्र गफूर हि0 1/24 जाति फकीर, रफीका पुत्री छुट्टन हि01/40 जाति फकीर, रहीसा पुत्री बशीर हि0 1/36 जाति मुसलमान, श्यामसिंह पुत्र महाराजसिंह हस्सा 7/96 जाति जाट, शहीदन पुत्री छुट्टन हि01/40 जाति फकीर, सितारा पुत्री बशीर हि01/36 जाति मुसलमान, हब्बो पुत्री गफूर हि01/24 जाति फकीर सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 445 रकबा 0.16 है0, 446 रकबा 0.15 है0, 448 रकबा 0.35 है0, 449 रकबा 0.30 है0, 466 रकबा 0.07 है0, 667 रकबा 0.07 है0, 468 रकबा 0.07 है0, 469 रकबा 0.07 है0, 470 रकबा 0.13 है0, 471 रकबा 0.12 है0, 472 रकबा 0.20 है0, 473 रकबा 0.04 है0, 474 रकबा 0.06 है0, कुल किता 13 कुल रकबा 1.79 है0 वाके ग्राम मण्डावरा तहसील हिण्डौन के सायलान हिस्सा 14/96 एवं गैरसायल सं01 ता 3 नूरदीन पुत्र गफूर हि01/48, महरदीन पुत्र गफूर हिस्सा 1/24, हब्बो पुत्री गफूर हि0 1/4 जाति फकीर निवासीयान मण्डावरा सहखातेदार काश्तकार हैं तथा प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भू-भाग पर कब्जा काश्त माना जाता है इस तथ्य को स्वयं सायलान भी अपने प्रार्थना पत्र में स्वीकार करते हैं। गैरसायल सं01 ता 3 विवादित आराजीयात के रिकोर्डेड सहखातेदार काश्तकार होने के कारण उनका भी उक्त आराजीयात के प्रत्येक इंच

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.30 16:36:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

भू–भाग के सहखातेदार काश्तकार हैं। जिनको जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैंसला दावा पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेसी केस साबित नहीं है तथा सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू भी सायलान के पक्ष में नजर नहीं आता है। इस प्रकार सायलान अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में असफल रहे हैं। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान आराजी खसरा नम्बर 445 रकबा 0.16 है0, 446 रकबा 0.15 है0, 448 रकबा 0.35 है0, 449 रकबा 0.30 है0, 466 रकबा 0.07 है0, 667 रकबा 0.07 है0, 468 रकबा 0.07 है0, 469 रकबा 0.07 है0, 470 रकबा 0.13 है0, 471 रकबा 0.12 है0, 472 रकबा 0.20 है0, 473 रकबा 0.04 है0, 474 रकबा 0.06 है0, कुल किता 13 कुल रकबा 1.79 है0 वाके ग्राम मण्डावरा तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23.03.2021
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2021.03.30 16:36:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner